व हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 392/2019 अनवान दलाराम बनाम धीराराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
11.02.20	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा सोनडी पटवार क्षेत्र बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 288/210 रकबा 14.14 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। अतः मौजा सोनड़ी पटवार क्षेत्र बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 288/210 रकबा 14.14 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बाडमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/ 425 दिनांक 17.2.20

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 दलाराम 2 खेताराम पिसरान गुणेशाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी, बिशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।		1 धीराराम पुत्र मुकनाराम 2 टीकमाराम पुत्र भ्झैराराम जाति जाट 3 सवाई पुत्र गोरखाराम 4 गिरधारी 5 भीखाराम पिसरान बगताराम जाति कुम्हार निवासी सोनड़ी, बिशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 392/2019 दिनांक– 11.02.20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सोनड़ी पटवार क्षेत्र बिशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 288/210 रकबा 14.14 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2020/ 426-429 दिनांक– 17.2.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बिशाला आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. दलाराम पुत्र गुणेशाराम वगैराह जाति जाट निवासी सोनड़ी, बिशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी धीराराम पुत्र मुकनाराम वगैराह जाति जाट निवासी सोनड़ी, बिशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.06.24 15:31:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: